दिनांक 16.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 16/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद शाहजहॉपुर/थाना कोतवाली</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 06 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 16.09.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोल चक्कर आवास विकास कालोनी से पुलिस के कार्यवाही के दौरान 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–अक्षय उर्फ बच्चू 2–सलीम उर्फ बब्बू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 06 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अक्षय उर्फ बच्चू के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर के विभिन्न थानो पर हत्या, हत्या का प्रयास, जुआ एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग व अभियुक्त सलीम उर्फ बब्बू के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर के विभिन्न थानों पर हत्या , हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0–475/2021 धारा 302 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अक्षय उर्फ बच्चू निवासी मोहम्मद जई थाना कोतवाली जनपद शाहजहॉपुर।

2–सलीम उर्फ बब्बू निवासी मोहम्मद जई थाना कोतवाली जनपद शाहजहॉपुर।

<u>बरामदगी</u>

1– 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 06 खोखा कारतूस आदि

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 डम्फर (बिना नम्बर की)**
- **चोरी की 14 दो पहिया वाहन**
- **02 कटी हुई मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 15.09.2021 को थाना खुर्जानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शाहपुर तिराहे से चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–इरफान 2–फरमान 3–गुलशन 4–अरविन्द को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 डम्फर (बिना नम्बर की), चोरी की 14 दो पहिया वाहन, 02 कटी हुई मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जो भिन्न–भिन्न स्थानों से वाहन चोरी करके नम्बर प्लेट, चेचिंस व इंजन नम्बर बदलकर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—इरफान निवासी हीननपुर थाना पुन्हाना नूह मेवात, हरियाणा।

2—फरमान निवासी ग्राम नूरपुर थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।

3—गुलशन निवासी उस्मापुर थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

4—अरविन्द निवासी ग्राम सैंदा फरीदपुर थाना खुर्जादेहात जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 01 डम्फर (बिना नम्बर की)।

2— चोरी के 14 दो पहिया वाहन।

3— 02 कटी हुई मोटर साइकिल।

<u>जनपद कासगंज/थाना पटियाली</u>

- **अवैध शस्त्र कारतूस फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध कारतूस विभिन्न बोर**
- **01 रायफल 315 बोर, 02 तमंचा 315 बोर,**
- **01 किलोग्राम पोटाश, 375 ग्राम गोला बारूद**
- **कारतूस बनाने व भरने के उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 16.09.2021 को थाना पटियाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भरगैन जंगलों में अवैध शस्त्र कारतूस फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—जान आलम 2—मो0 आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 197 खोखा कारतूस 315 बोर, 61 जीवित कारतूस 315 बोर, 227 बुलेट 315 बोर, 73 खोखा कारतूस 12 बोर, 42 जीवित कारतूस 12 बोर, 24 कारतूस 32 बोर, 107 छर्रे 12 बोर, 01 रायफल 315 बोर, 02 तमंचा 315 बोर, 01 किलोग्राम पोटाश, 375 ग्राम गोला बारूद, कारतूस बनाने व भरने के भारी मात्रा में उपकरण आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना पटियाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— जान आलम निवासी अहमद थोक कस्बा भरगैन थाना पटियाली जनपद कासगंज।

2—मो0 आलम निवासी अहमद थोक कस्बा भरगैन थाना पटियाली जनपद कासगंज।

बरामदगी

1—197 खोखा कारतूस 315 बोर, 61 जीवित कारतूस 315 बोर, 227 बुलेट 315 बोर।

2— 73 खोखा कारतूस 12 बोर, 42 जीवित कारतूस 12 बोर।

3— 24 कारतूस 32 बोर।

4— 107 छर्रे 12 बोर।

5— 01 रायफल 315 बोर।

6— 02 तमंचा 315 बोर।

7— 01 किलोग्राम पोटास।

8— 375 ग्राम गोला बारूद।

9— कारतूस बनाने व भरने के भारी मात्रा में उपकरण आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना जैतीपुर

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम(फाईन क्वालिटी)**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 16.09.2021 को थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौगवां तिराहे से चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ तस्कर लालू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम (फाईन क्वालिटी), 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना शाहजहॉपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लालू निवासी ग्राम खण्डसार थाना कटरा जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम (फाईन क्वालिटी)।

2— 01 मोटर साइकिल।

जनपद बलिया/थाना उभांव

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 54 हजार रूपये नगद**
- **05 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 16.09.2021 को थाना उभांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा बेल्थरारोड के पास पेड़ के नीचे से 06 शातिर अभियुक्तों 1—शालू 2—अमन 3—कालू 4—राज 5—अभियुक्ता 6—अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 54 हजार रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। दिनॉकः 02.08.2021 को थाना उभांव क्षेत्र से चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना उभांव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त चोरी के अभियोग से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना उभांव पर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शालू निवासी ग्राम कडिया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़, मध्यप्रदेश।

2–अमन निवासी ग्राम कडिया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़, मध्यप्रदेश।

3–कालू निवासी ग्राम कडिया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़, मध्यप्रदेश।

4–राज निवासी ग्राम कडिया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़, मध्यप्रदेश।

5–अभियुक्ता।

6–अभियुक्ता।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 54 हजार रूपये नगद।

2– 05 मोबाइल फोन आदि।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना खानपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे–6 बुलन्दशहर द्वारा थाना खानपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि में अभियुक्त 1–जयकरन 2–विजय सिंह 3–समय सिंह 4–रोबिन को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एसटीएफः सरकारी योजनाओं के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले वांछित मास्टर माइण्ड पति/पत्नी गिरफ्तार

दिनांक 15.09.2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को सरकारी योजनाओं के नाम पर जनता से धोखाधड़ी करने वाले गैंग के (जनपद मऊ से वांछित) मास्टर माइण्ड गुलाब नन्दलाल जायसवाल व धोखाधडी करने मे शामिल उसकी पत्नी को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-

1— गुलाब नन्दलाल जायसवाल पुत्र स्व0 नन्दलाल जायसवाल नि0 आर—8, फ्लैट नम्बर—704, राम मन्दिर गोरेगांव, वेस्ट मुम्बई, मूल निवासी— साईचाल, जनतानगर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाई—वे, काशीमीरा, मीरा भयन्दर, ठाणे, महाराष्ट्र।

2— अनीता सिंह पत्नी गुलाब नन्दलाल जायसवाल नि0 आर—8, फ्लैट नम्बर—704, राम मन्दिर गोरेगांव, वेस्ट मुम्बई, मूल निवासी— साईचाल, जनतानगर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाई—वे, काशीमीरा, मीरा भयन्दर, ठाणे, महाराष्ट्र।

बरामदगी :

1— 03 अदद मोबाइल फोन।
2— 02 अदद आधार कार्ड।
3— 02 अदद कूटरचित महिला शक्ति संस्थापक का परिचय पत्र।
4— 02 अदद डेबिट कार्ड कारापोरेशन बैक।
5— 03 अदद डेबिट कार्ड डी0सी0बी0 बैंक।
6— 02 अदद डेबिट कार्ड कोटक महिन्द्रा बैंक।
7— 01 अदद डेबिट कार्ड सेन्ट्रल बैंक।
8— 02 अदद पासपोर्ट।
19— 4,500/— रूपया (चार हजार पांच सौ मात्र) नकद।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान -

दिनांकः 15.09.2021 को सांयकाल, स्थानः समिट बिल्डिंग के सामने, शहीदपथ, थाना क्षेत्र विभूतिखण्ड, लखनऊ।

महिला सशक्तिकरण तथा विधवा पेंशन, निशुल्क आवास, निशुल्क बिजली, निशुल्क पानी व निशुल्क बस/ट्रेन यात्रा आदि सुविधायें सरकारी तौर पर देने के प्रलोभन के लिये गैर पंजीकृत संस्था के कथित पदाधिकारियों के विरूद्ध जनपद मऊ के थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 370/2021 धारा 188, 269, 270, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि एवं धारा 03 महामारी अधि0 1897 पंजीकृत किया गया था। जिसके वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद मऊ की स्वाट टीम अभियुक्तों की पतारसी/सुरागरसी कर रही थी। इसी दौरान स्वाट टीम को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त के वांछित मास्टर माइण्ड गुलाब नन्दलाल जायसवाल व उसकी पत्नी अनीता जायसवाल गोरखपुर से कानपुर की ओर हयुंडई कार संख्या— यूपी—53—सीएस—5171 से वाया आयोध्या/बाराबंकी/लखनऊ जा रहे है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक, जनपद मऊ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ से उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सहयोग मांगा

गया। जिसके क्रम मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निरीक्षक श्री ज्ञानेन्द्र कुमार राय के नेतृत्व मे मुख्यालय स्थित टीम को निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देश के अनुपालन मे निरीक्षक श्री ज्ञानेन्द्र कुमार राय एवं स्वाट टीम मऊ द्वारा सयुंक्त रूप से पतारसी/सुरागरसी कर उक्त वाहन को उपरोक्त स्थान पर रोका गया, जिसमे उपरोक्त दोनों अभियुक्त सवार थे। पूछतांछ पर दोनो अभियुक्तों ने बताया कि जनपद मऊ मे हम दोनो पति/पत्नी एवं हमारे अन्य साथियों के विरूद्ध धोखाधडी का मुकदमा पंजीकृत है, जिसमे गिरफ्तारी से बचने के लिये हम दोनों यह कार गोरखपुर से किराये पर लेकर कानपुर जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। दोनो अभियुक्तों ने यह भी बताया कि प्रदेश के कई जिलों व अन्य प्रान्तों मे भी सरकारी योजनाओं का प्रलोभन देकर धोखाधडी कर चुके है। गिरफ्तार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की सूचना थाना विभूतिखण्ड लखनऊ मे अंकित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु स्वाट टीम मऊ दोनो अभियुक्तों को साथ लेकर जनपद मऊ के लिये रवाना हुई। अग्रिम विधिक कार्यवाही जनपद मऊ द्वारा की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त गुलाब नन्दलाल जायसवाल पूर्व मे महाराष्ट्र के एम0बी0वी0वी कमिश्नरेट के थाना नयानगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 552/2020 धारा 376(2)(एन), 506(2), 323, 504 भादवि मे जेल जा चुका है तथा जून 2021 से जमानत पर है। गिरफ्तार अभियुक्तों का शेष आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 880 किलोग्राम गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 01 करोड़ 80 लाख रूपये) बरामद

दिनांक 16—09—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर 880 किलोग्राम गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 01 करोड़ 80 लाख रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-

1— नरायण सिंह बडवा पुत्र मान सिंह बडवा निवासी— लेसवा, थाना— भादसोडा, जिला चित्तौडगढ (राजस्थान)।

2— शिव सिंह बडवा पुत्र किशन सिंह निवासी— बडवा का खेड़ा लेसवा, थाना— भादसोडा जिला चित्तौडगढ (राजस्थान)।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

दिनांक 16—09—2021/जनपद झांसी के थाना बबीना क्षेत्रान्तर्गत टोल प्लाजा के पास।

बरामदगीः

1— 880 किलोग्राम मादक पदार्थ (गॉजा) (अनुमानित मूल्य लगभग 01 करोड़ 80लाख रूपये)

2— 01 अदद ट्रक (आर0जे0—09—जी0डी0—2111)

3— 03 अदद मोबाइल फोन।

4— 02 हजार रूपये नकद।

एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के अनुपालन मे श्री अनिल कुमार सिंह, निरीक्षक, एसटीएफ, वाराणसी के नेतृत्व में एक टीम द्वारा जनपद झांसी में धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी कि इसी दौरान सूचना मिली कि एक ट्रक नंबरः आर0जे0—09—जी0डी0—2111 द्वारा भारी मात्रा में गॉजा मध्य प्रदेश की तरफ से बबीना होते हुए जनपद झांसी मे लाया जा रहा हैं, यदि शीघ्रता की जाये तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा थानाध्यक्ष बबीना जनपद झांसी एवं नॉरकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से सम्पर्क किया गया तथा इन्हें साथ लेकर थाना बबीना क्षेत्रान्तर्गत टोला प्लाजा के पास से उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा बरामदगी की गयी।

पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि बरामद ट्रक नं0 आर0जे0—09—जी0डी0 —2111 का मालिक और चालक अभियुक्त नरायण सिंह बडवा स्वयं है। उक्त ट्रक में गॉजा छुपाकर तस्करी का काम किया जाता है। इस ट्रक को ये लोग विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश) ले गये थे, जहॉ से ट्रक में लौह अयस्क लोड कर बीच में गॉजा को छुपा दिया गया तथा लौह अयस्क की बिल्टी जनपद हिसार (हरियाणा) के लिये बनवायी गयी, ताकि चेकिंग के दौरान किसी को कोई शंका न होने पाये। विशाखापट्टनम में यह गांजा शिंटू व शिवा ने लोड करवाया था। यह गॉजा उन्हें लेकर आगरा पहुचना था। आगरा पहॅुचने पर यहॉ विकास नाम का आदमी मिलता, जो बताता कि आगरा में उक्त गॉजा किसको और कहॉ पर देना है। इन लोगों को गॉजे का प्रति चक्कर सप्लाई के लिये किराये के अतिरिक्त 80 हजार रूपये मिलता था, जिसमे से 20 हजार मिल चुका था, शेष 60 हजार रूपये आगरा में मिलता। इसी के लालच में आकर इन लोगों ने यह गॉजा लेकर सप्लाई के लिये जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो लखनऊ द्वारा एन0सी0बी0 केस क्राइम नं0— 36/2021 धारा 8सी/20/25/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

एसटीएफः जनपद प्रयागराज़ के थाना सोरांव क्षेत्र में हत्या/लूट की सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देने वाला व 50,000/—रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक—16—09—2021 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदे"ा को मु0अ0सं0—111/20218 धारा—394 भादवि, मु0अ0सं0—69/2018 धारा 392 भादिव, 832/2018 धारा 147/148/149/302/120बी भादवि व 98/2020 धारा 174ए भादवि थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज़ में वांछित चल रहा **50,000/— रूपये का पुरस्कार घोशित** अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ सुरेन्द्र उर्फ भालेन्द्र उर्फ ननका को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1— धर्मेन्द्र उर्फ सुरेन्द्र उर्फ भालेन्द्र उर्फ ननका पासी पुत्र हीरामनी निवासी बनके"ार, थाना थरवई, जनपद प्रयागराज।

बरामदगीः—

1— 01 अदद तमन्चा (315 बोर)।
2— 02 अदद जिन्दा कारतूस (315 बोर)।
3— 01 अदद मोबाइल फोन
4— 01 अदद आधार कार्ड की प्रति
5— नकद 220/— रूपया।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय

हाईवे सर्विस लेन युग मुर्गा दाना एजेन्सी बढ़इया थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज, दिनांक :—16—09—2021 की 15:00 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्दे"ात किया गया था। उक्त निर्दे"ा के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांकः—16—09—2021 को फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम जनपद प्रयागराज़ के सोरांव थाना क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि मु0अ0सं0—111/2018, 69/2018, 832/2018 व 98/2020 थाना सोरांव जनपद प्रयागराज का वांछित व 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ सुरेन्द्र उर्फ ननका पासी हाईवे सर्विस लेन युग मुर्गा दाना एजेन्सी बढ़इया थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज पर किसी व्यक्ति का इन्तजार कर रहा है तथा कोई संदिग्ध वस्तु भी अपने साथ लिये हुआ है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर वि"वास करके उ0नि0 श्री वेद प्रका"ा पाण्डेय, श्री अनिल कुमार सिंह, मु0आरक्षी अभिषेक मिश्रा, साजित अली, विकास तिवारी, आरक्षी सुनील कुमार, उदय प्रताप सिंह, दिलीप सिंह, प्रवीण जायसवाल व मुख्य आरक्षी चालक मुजीबुल रहमान की टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर

पहुँचकर अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 15:00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त द्वारा बताया गया कि व कक्षा आठ तक पढ़ा है तथा थाना थरवई व थाना सोरांव क्षेत्र में उसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या/लूट की कई घटनाओं को अन्जाम दिया गया है, जिसमें वह तीन बार जेल जा चुका है। इसके बाद लूट की और कई घटनाओं को कारित कर वह वर्ष 2018 से पुलिस से छिप कर मुम्बई में रहकर अपना कारोबार करता था तथा चोरी छिपे बीच–बीच में घर आया जाया करता था। वांछित मुकदमों के सम्बन्ध में बता रहा है कि दिनांक 30–01–2018 को बिगहिया पुल के पास अपने दो अन्य साथियों के साथ अपाचे मोटर साइकिल की लूट तथा दिनांक 12–02–2018 को जमुआ चौराहे के पास सोनार से लूट की घटना कारित करना बताया उक्त मुकदमों में वांछित होने पर गिरफ्तार व हाजिर न होने के कारण धारा 82 व 83 द0प्र0सं0 की कार्यवाही के उपरान्त प्रभारी निरीक्षक सोरांव द्वारा दिनांक 10–02–2020 को अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा 174ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0–111/20218 धारा–394 भादवि, मु0अ0सं0–69/2018 धारा 392 भादवि, 832/2018 धारा 147/148/149/302/120बी भादवि, 98/2020 धारा 174ए भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज़ में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।

धर्मेन्द्र उर्फ सुरेन्द्र उर्फ भालेन्द्र उर्फ ननका पासी पुत्र हीरामनी निवासी बनके”ार थाना थरवई जनपद प्रयागराज का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	154/2015	392 भादवि	थरवई	प्रयागराज
2.	496/2015	394 भादवि	सोरांव	प्रयागराज
3.	134/2016	392/411 भादवि	सोरांव	प्रयागराज
4.	197/2017	392/411 भादवि	सोरांव	प्रयागराज
5.	69/2018	392 भादवि **(वांछित)**	सोरांव	प्रयागराज
6.	111/2018	394 भादवि **(वांछित)**	सोरांव	प्रयागराज
7.	360/2018	379 भादवि	सोरांव	प्रयागराज
8.	832/2018	147/148/149/302/120बी भादवि **(वांछित)**	सोरांव	प्रयागराज
9.	98/2020	174 ए भादवि **(वांछित)**	सोरांव	प्रयागराज
10.	/2021	3/25 आर्म्स एक्ट	सोरांव	प्रयागराज

एसटीएफः जनपद हमीरपुर में हत्या/लूट / पुलिस से मुठभेड़ की सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देने वाला सुन्दर भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य व 50,000/–रूपये का पुरस्कार घोशित अभियुक्त एस0एस0 नं0 24ए महेन्द्र यादव एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

दिनांक–16–09–2021 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदे”ा को मु0अ0सं0–175/2021 धारा–307/387 भादवि व मु0अ0सं0–178/2021 धारा 307/504/506 भादवि व 34 पुलिस मुठभेड़ थाना मौदहा जनपद हमीरपुर में वांछित चल रहे व **पतारा गैंग/सुन्दर भाटी के गैंग** का सक्रिय सदस्य व **50,000/– रूपये का पुरस्कार घोशित** अभियुक्त महेन्द्र यादव **एस0एस0 नं0 24ए** थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1— महेन्द्र यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी ग्राम रमना, कि"ानपुर, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर।

बरामदगीः—

1— 01 अदद तमन्चा (315 बोर)।
2— 04अदद जिन्दा कारतूस (315 बोर)।
3— नकद 250/— रूपया।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय

ने"ानल रोड पर बने मुर्गी फार्म से करीब 100 मीटर पहले थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर, दिनांक :—16—09—2021 समय 14:25 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्दे"ात किया गया था। उक्त निर्दे"ा के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांकः—16—09—2021 को फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम जनपद हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि **पतारा गैंग/ सुन्दर भाटी गैंग** का सक्रिय सदस्य व रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त महेन्द्र यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी ग्राम रमना, कि"ानपुर, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर ने"ानल रोड पर बने मुर्गी फार्म से करीब 100 मीटर पहले थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर पर किसी व्यक्ति का इन्तजार कर रहा है तथा कोई संदिग्ध वस्तु भी अपने साथ लिये हुआ है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर वि"वास करके उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, मु0आरक्षी प्रभन्जन पाण्डेय, आरक्षी अजय सिंह यादव, संतोष कुमार, रोहित सिंह व आरक्षी चालक रविकान्त सिंह की टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त उपरोक्त को आव"यक बल प्रयोग करके समय करीब 14:25 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त महेन्द्र यादव उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वर्ष 2016 में किराना व्यापारी विनय कुमार गुप्ता निवासी बस स्टैण्ड कुरारा थना कुरारा जनपद हमीरपुर को ग्राम बनदपुर के पास अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी एवं रूपए व सामान लूट लिए थे। इसके बाद एक स्थानीय **पतारा गैंग** (जिसमें दिने"ा माली, व"ीम कुन्जड़ा, भूपेन्द्र यादव, रोहित यादव, सोनू, झल्लू उर्फ उदयभान आदि थे।) में शामिल हो गया। पतारा गैंग के साथ मिलकर अपराध करने लगा एवं कई बार जेल भी गया। इसी दौरान हमीरपुर जेल में मेरी मुलाकात नोएडा, दिल्ली एवं हरियाणा के **माफिया एवं अपराधी सुन्दर भाटी** से हुयी एवं जेल मे उनके साथ रहने लगा तथा मैं उनका करीबी भी हो गया। इधर जेल से छुटने के बाद मैं फरार हो गया एवं जेल का ही जनपद जालौन का एक साथी नृपेन्द्र यादव के साथ परी चौक, नोएडा चला गया जहां हम लोगो के मित्र पुराने सिंह उर्फ सन्नी सिंह निवासी ग्राम व थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर हम लोगो को लेने के लिए आये एवं उनके साथ हमलोग 5—6 दिन नोएडा में रूकने के बाद नोएडा से 100—150 कि0मी0 दूर फरीदाबाद में एक फार्म हाउस पर जाकर रहने लगे। फार्म हाउस की बाउन्ड्री बहुत ऊंची थी एवं हम लोगो के लिए वह बहुत सुरक्षित जगह थी। वहां पर रहने और खाने की व्यवस्था सुन्दर भाटी के द्वारा ही किया गया था। फरीदाबाद फार्म हाउस से

बीच—बीच में मै हमीरपुर आते—जाते रहता था, उसी दौरान एक दो बार पुलिस से मुठभेड़ भी हुयी थी। आज जनपद हमीरपुर आया था कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0—175/2021 धारा—307/387 भादवि व मु0अ0सं0—178/2021 धारा 307/504/506 भादवि व 34 पुलिस मुठभेड़ थाना मौदहा जनपद हमीरपुर व मु0अ0सं0— 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।

महेन्द्र यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी ग्राम रमना, कि”ानपुर थाना मौदहा जनपद हमीरपुर का ज्ञात आपराधिक इतिहास :—

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	1105/2015	3/25 आर्म्स एक्ट	कुरारा	हमीरपुर
2.	230/2016	302 भादवि	कोतवाली नगर	हमीरपुर
3.	236/2016	3/25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली नगर	हमीरपुर
4.	101/2018	307 भादवि	राठ	हमीरपुर
5.	107/2018	379 भादवि	राठ	हमीरपुर
6.	108/2018	147/147/149/307/411 भादवि	राठ	हमीरपुर
7.	109/2018	3/25 आर्म्स एक्ट	राठ	हमीरपुर
8.	247/2018	2/3 गैंगेस्टर एक्ट	राठ	हमीरपुर
9.	377/2020	3/25 आर्म्स एक्ट	मौदहा	हमीरपुर
10.	175/2021	387/307/ भादवि **(वांछित)**	मौदहा	हमीरपुर
11.	178/2021	307/34/504/506 भादवि **(वांछित)**	मौदहा	हमीरपुर
12.		3/25 आर्म्स एक्ट	मौदहा	हमीरपुर

एसटीएफः पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों से मानव रक्त (पी0आर0बी0सी0) की तस्करी व मिलावट कर लखनऊ एवं आस—पास के जनपदों में विभिन्न हास्पिटल, ब्लड बैंक आदि में धोखा—धड़ी कर ब्लड बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुए डाक्टर/सरगना 100 युनिट ब्लड बैग सहित 02 सदस्य एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार

आज दिनाकः 16—09—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों से मानव रक्त (पी0आर0बी0सी0) की तस्करी व मिलावट कर लखनऊ एवं आस—पास के जनपदों में विभिन्न हास्पिटल, ब्लड बैंक आदि में धोखा—धड़ी कर ब्लड बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुए सरगना डा0 अभय प्रताप सिंह 100 युनिट ब्लड बैग सहित 02 सदस्य गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— डा0 अभय प्रताप सिंह (एम0बी0बी0एस0, एम0डी0) पुत्र स्व0 रामाशंकर सिंह, निवासी—101 सरदार पटेल डेन्टल कालेज, रायबरेली रोड, लखनऊ वर्तमान समय में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर यू0पी0 युनिवर्सिटी आफ मेडिकल साईन्सेज, सैफई, इटावा में कार्यरत है।

2— अभिषेक पाठक पुत्र पवन कुमार पाठक नि0—हाल पता सी—121 सपना इन्क्लेव, थाना—पीजीआई, लखनऊ व स्थायी पता ग्राम— जमुनी, पोस्ट— अजगरा, थाना—पथरा, जनपद—सिद्धार्थनगर।

बरामदगीः—

1— 100 यूनिट पैक्ड रेड ब्लड सेल्स (पीआरबीसी),
2— 21 अदद कूटरचित विभिन्न ब्लड बैंको के प्रपत्र,
3— 02 अदद रक्तदान शिविर बैनर,
4— एक अदद फोर्ड इकोस्पोर्ट कार नम्बर— यू0पी0—32 एल0एस0—8424
5— एक अदद आई0कार्ड0 यू0पी0 युनिवर्सिटी आफ मेडिकल साईन्सेज, सैफई, इटावा।
6— 05 अदद मोबाइल फोन,
7— 05 अदद ए0टी0एम0 कार्ड,
8— 02 अदद पैन कार्ड,
9— एक अदद डाक्टर मेम्बरशिप कार्ड,
10— रू0 23830/— नगद

ज्ञातव्य है कि दिनॉकः 26—10—2018 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश के द्वारा अवैध तरीके से मानव रक्त (ब्लड) निकाल कर उसको सेलाइन वाटर की मिलावट से दुगना कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 05 अभियुक्तों को असुरक्षित ब्लड एवं कूट रचित दस्तावेजों सहित गिरफ्तार किया गया था। तभी से एस0टी0एफ0 टीम द्वारा ब्लड बैंक के सदस्यों पर सतत् निगरानी की जा रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन मे श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 के निर्देशन में एस0टी0एफ0 मुख्यालय टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मु0आ0 राजेश मौर्या को जमीनी स्तर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि जनपद लखनऊ के रहने वाले कुछ लोगों द्वारा संगठित तरीके से बड़े पैमाने पर मिलावटी ब्लड को तस्करी कर लाया जाता है, जिसको ब्लड बैंको के कुटरचित पर्चे आदि बनाकर अथवा सांठ—गांठ कर अधिक कीमत पर जरुरत मंदो व अपने एजेंटो के माध्यम से लखनऊ व आसपास के हास्पिटलों आदि में सप्लाई किया जाता है। आज दिनांक 16—09—2021 को सूचना मिली की बड़े पैमाने पर ब्लड तस्करी करके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लाकर जनपद लखनऊ स्थित ब्लड बैंको/हास्पिटलो में सप्लाई किया जाना है।

इस सूचना पर निरीक्षक दिलीप कुमार तिवारी के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय, उ0नि0 विनोद कुमार सिंह, मु0आ0 राजेश कुमार मौर्या, मु0आ0 अशोक गुप्ता, मु0आ0 रुद्र नारायण, मु0आ0 अंजनी यादव, मु0आ0 संतोष कुमार सिंह, का0 विजय वर्मा, का0 अशोक राजपूत, का0 कौशलेन्द प्रताप सिंह, आ0चा0 शिववीर व आ0चा0 नीरज की टीम गठित कर स्थानीय ड्रग निरीक्षक की टीम को साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान लखनऊ—आगरा एक्सप्रेस वे स्थित प्रारम्भ टोल प्लाजा पर पहुॅचकर अपनी उपस्थिति को छिपाते हुये मुखबिर के साथ इन्तजार करने लगे कि कुछ ही देर में सिल्वर कलर की इको स्पोर्ट कार आती हुयी दिखायी दी, मुखबिर ने इशारा किया व मुडकर चला गया। इस पर टीम के सभी सदस्यो द्वारा आवश्यक घेराबन्दी कर टोल प्लाजा बैरियर से लगभग सौ मीटर आगे आगरा जाने की ओर एक बारगी दबिश देकर समय लगभग 20:30 बजे गाड़ी को रोक लिया गया व चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अभय सिंह उपरोक्त बताया।

टीम द्वारा तलाशी हेतु कहे जाने पर वह सकपकाया तथा गाडी के बूटस्पेश खोले जाने पर उसमें गत्ते मे रखे हुये ब्लड के पैकेट मिले जिसके बारे मे पुछे जाने पर उसने बताया कि मैं इटावा स्थित सैफई मेडिकल कालेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुॅ, मेरे द्वारा वर्ष—2000 मे

के0जी0एम0यू0 लखनऊ से एम0बी0बी0एस0, वर्ष 2007 में पी0जी0आई0 लखनऊ से एम0डी0 ट्रान्सफयूजन मेडिसन का कोर्स किया गया है। जिसके बाद से मैं वर्ष–2010 से ओ0पी0 चौधरी ब्लड बैंक में एम0ओ0आई0सी0 के पद पर नियुक्त हूँ। तथा वर्ष–2014 मे मै चरक हास्पिटल, लखनऊ में सलाहकार के पद पर व वर्ष–2015 में नैती हास्पिटल, मथुरा मे सलाहकार के पद पर कार्य किया हूँ। इसके साथ ही जनपद मैनपुरी व जनपद-अमेठी स्थित जगदीशपुर में सलाहकार के पद पर जुडने हेतु आवेदन किया है। (आरोपी द्वारा अपने बारे में दी गयी उपरोक्त जानकारी का सत्यापन कराया जा रहा है।) आगे पूछने पर आरोपी द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि स्थानो से डोनेट किये हुये ब्लड को एकत्र करके सप्लाई हेतु लाया जाता है, मौके पर कुल 45 यूनिट ब्लड के पैकेट गत्ते में रखे हूये प्राप्त हुये, जिनके सम्बन्ध मे वैधानिक प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु कहे जाने पर प्रपत्र प्रस्तुत किये गये, जिन्हे मौके पर उपस्थित औषधि निरीक्षकों की टीम द्वारा उसे अपूर्ण पाया गया। जिसपर पुछने पर बताया कि मैं वैध रुप से ब्लड लाता हॅू, इससे सम्बन्धित कुछ जरुरी कागज इस समय मेरे पास नहीं है। यदि आप मुझे समय दे तो उन्हे मैं आपको लाकर दिखा सकता हॅू।

यह कहने पर उपस्थित टीम के सभी सदस्यो को यह विश्वास हुआ कि प्रपत्र लेकर यह पुनः तलब नही होगा, इस विश्वास पर टीम के सभी सदस्यों ने एक मत से उसके साथ ही पूर्ण प्रपत्र की जॉच करने के उदेद्श्य से उसके बताये हुये स्थान पर गंगोत्री आपार्टमेन्ट, अवध बिहार योजना, लखनऊ पहुंचे। उसने बताया कि मै बी–03, मकान नं–105 में रहता हॅू, जो मेरा निजी आवास है, आपके द्वारा मांगे आवश्यक प्रपत्र मैं अभी लाकर देता हॅू। इस पर टीम के सभी सदस्य उसे साथ लेकर उक्त आवास पहुचे, जहॉ पर अभय सिंह द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों का गहनता से परीक्षण/जॉच की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जॉच के दौरान अभय सिंह के द्वारा विभिन्न प्रकार से गुमराह करने का घण्टो प्रयास किया गया परन्तु उपस्थित औषधि निरीक्षकों की टीम द्वारा समस्त प्रपत्रों को अवैध/कूटरचित पाया गया।

पूछताछ में अभय सिंह उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा यह कार्य विगत कई वर्षो से किया जा रहा है। इस पर टीम के सभी सदस्यो द्वारा कमरो की तलाशी लेनी शुरु की गई तो पिछले कमरे में एक व्यक्ति मिला, जिसने अपना नाम अभिषेक पाठक उपरोक्त बताया तथा तलाशी के दौरान कुल 55 यूनिट ब्लड घरेलू फ्रीज मे रखा हुआ मिला।

अभय सिंह व अभिषेक पाठक से संयुक्त रुप से कडाई से पुछताछ की गयी तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हम लोग संगठित तरीके से पंजाब, राजस्थान व अन्य प्रान्तो में अपनें तस्करों के माध्यम से डोनेट किये हुये अवैध ब्लड को एकत्र करके जनपद–लखनऊ लाकर उस पर कूटरचित पर्चे आदि के द्वारा तैयार करके अवध हास्पिटल आलमबाग, लखनऊ, वर्मा हास्पिटल काकोरी, काकोरी हास्पिटल, लखनऊ निदान ब्लड बैंक, लखनऊ, बंथरा व मोहनलालगंज स्थित हास्पिटल, सुषमा हास्पिटल, लखनऊ व अन्य स्थानों पर सप्लाई किया जाता है। अन्य प्रान्तो से बल्क में ब्लड देने वाले लोगों में कमल सत्तु, दाता राम, हरियाणा का व लितुदा व केडी कमाल, हरियाणा, व डा0 अजहर राव है, नीलेश सिंह, दिल्ली आदि से लिया जाता है। तथा स्थानीय स्तर पर हमारे एजेण्ट बृजेश निगम, सौरभ वर्मा, दीपू चौधरी, जावेद खान, धीरज तवर, आदि द्वारा सप्लाई का कार्य किया जाता है। इनके द्वारा आगे बताया गया कि उपरोक्त राज्यों में रक्त दान करने का अधिक चलन है, जिससे वहाँ रक्त आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जबकि उ0प्र0 व बिहार से इलाज के लिए आने वाले लोग रक्त दान करने में संकोच करते हैं, जिससे रक्त की माँग यहाँ अधिक बनी रहती है। हम इसी बात का फायदा उठा की मन चाहे रेट पर ब्लड बेचकर मुनाफा कमाते है। मेरे द्वारा रुपये–1200/– प्रति यूनिट की दर से ब्लड क्रय करके उसको प्रति यूनिट रुपये चार हजार से छः हजार रुपये प्रति यूनिट की दर से सप्लाई किया जाता है। कभी–कभी ब्लड की अधिक मांग होने

पर हम लोगो के द्वारा एक यूनिट ब्लड को स्लाइन वाटर मिलाकर दो यूनिट करके बिक्री किया जाता है। उपरोक्त तस्करी करके लाये गये बल्क ब्लड को वैध रुप में प्रदर्शित करने के लिये हमारे द्वारा फर्जी तरीके से रक्तदान शिविर/फोटोग्राफी का आयोजन किया जाता है।

उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट, लखनऊ में मु0अ0सं0 479/2018 धारा 419/420/467/468/471/274/275/34 भादवि व औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम–1940 की धारा 18/27 का अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही हैं।

———